(2)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक: भू.अ./नवि/96/702 दिनांक: 17/7/96

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत् (पृथ्वीराज नगर योजना)

....

मुकदमा नम्बर:-

1. 6/88
2. 7/88

:: अवार्ड ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 (की धारा 4(1)) के तहत क्रमांक:प.6(15)नविआ/11/87 दिनांक 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज पत्र 7 जुलाई, 1988 को करवाया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 के गजट प्रकाशन क्रमांक:प.6(15)नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया । धारा 6 की अधिसूचना का दो दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 12.8.89 को हुआ एवं नियमानुसार अवाप्ताधीन भूमि के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर 22.10.89 को चस्पा कराया गया । माननीय उच्च न्यायालय डी.बी. के निर्णय दिनांक 22.4.96 की प्रति L.A.O. कार्यालय में 18.5.96 को प्राप्त हुई ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर में अवाप्ताधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गयी है:-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाऐं
जयपुर

क्रमशः----2

क्र.सं.	मु.नं.	ख.नं.	खातेदार/हितदार का नाम	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. बि.
1.	6/88	392	हरीनारायण पुत्र घासी लाल	3 - 03
		393	हरीनारायण पुत्र घासी	0 - 13
		394/1	लाल हि. 1/2, दामोदर,	3 - 04
		395/1	रामदेव पिता देवी लाल, राधेश्याम, सीताराम पिता गुलाब चन्द, कल्याण बक्स पुत्र भैरू लाल कौम ब्राहम्ण। हि. 1/2 हिस्सा बराबर	8 - 03
2.	7/88	394/2	राधेश्याम, सीताराम पिता	5 - 19
		395/2	गुलाब चन्द हि. 1/2, दामोदर पुत्र रामदेव हि. 1/4, जगदीश पुत्र रामदेव हि. 1/4	8 - 16

मुकदमा नं. 6/88 ख.नं.392 रकबा 3बीघा 3बिस्वा,393 रकबा 13बिस्वा,394/1 रकबा 3बीघा 4बिस्वा,395/1 रकबा 8बीघा 03बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 392 रकबा 3बीघा 3बिस्वा ख.नं.393 रकबा 13बिस्वा,ख.नं.394/1 रकबा 3बीघा 4बिस्वा,ख.नं.395/1 रकबा 8बीघा 03बिस्वा हरीनारायण पुत्र घासी लाल हि. 1/2,दामोदर,रामदेव पिता देवी लाल,राधेश्याम,सीता राम पिता गुलाब चन्द,कल्याण बक्स पुत्र भैरू लाल कौम ब्राहम्ण हि. 1/2 हिस्सा बराबर के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/ हितदारान को दिनांक 4.10.90 को नोटिस जारी कर तामील कुनिन्दा द्वारा मौके पर खातेदारान नहीं मिलने के कारण चस्पा किए गए । लेकिन खातेदार एवं उनकी ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई क्लेम पेश किया गया । दिनांक 25.4.91 को हरीनारायण की तरफ से हनुमान,पुत्र राजू उपस्थित हुए । इनका कहना है कि हरीनारायण का स्वर्गवास हो चुका है । सीताराम शर्मा ने

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनायें जयपुर

क्रमशः---3

दिनांक 4.6.91 को उपस्थित होकर एक क्लेम दामोदर प्रसाद,जगदीश राधेश्याम,सीताराम व मनफूली पत्नी हरीनारायण की तरफ से पेश किया। जो निम्न प्रकार है:-जिसमें धारा 4 का विवरण देते हुए क्लेम पेश किया। इसमें अंकित किया गया है कि कुल भूमि का 60% भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है अतः पत्रावट करने पर

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज x 260 रु. प्रति वर्ग गज से 4,71,900/- रुपये (अक्षरें चार लाख इकेत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र) प्रति बीघा बनती है।

31. (अ) यह कि इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त दर 4,71,900/-रुपये प्रति बीघा की दर से पाने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 3बीघा 3 बिस्वा ख.नं.394/1 रकबा 3बीघा 4बिस्वा, ख.नं. 395/1 रकबा 8बीघा 3 बिस्वा श्रीमती मनफूली देवी बेवा हरिनारायण के हक में है एवं ख.नं.393 रकबा 13 बिस्वा में श्रीमती मनफूली देवी का 1/2 हिस्सा है एवं शेष आधे हिस्से में दामोदर जगदीश पुत्र रामदेव 1/4 व राधेश्याम, सीता राम पुत्र स्व.गुलाब चन्द 1/4 हिस्सा है इस प्रकार कुल रकबा 15बीघा 8बिस्वा अर्थात 46,581 वर्ग गज में से 40 प्रतिशत के हिसाब से 18,630 वर्गगज कम करने पर 27,951 वर्गगज रहते हैं जिसकी बाजारी दर 260/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 72,67,260/-रुपये मात्र पाने के अधिकारी हैं:-

जमीन की मुआवजा राशि: 72,67,260/-रु.

1. कुआ

गहराई 130 फूट
बोरिंग 95 फुट
कुए का घेरा 9 फुट
मोटर साढे सात हार्स पावर
सीमेन्ट 120 गहराई छत्ती का
बना हुआ
रोइंग केबिल 160
स्टारटर साढे सात हार्स पावर
पावर मैन स्विच
जी

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

- 52 -

		राशि
	जी.आई.पाईप 150 फुट	
	बोरिंग 90 फुट	3,00,000.00
2-	<u>होदी</u>	
	10 प्रत्येक हादी की कीमत 2,000	
	10×2,000/-	20,000.00
3-	खेत में सीमेन्ट पाइप का जाल पानी सप्लाई करने हेतु 1200 फुट लगा हुआ है जिसकी कीमत प्रति 10/-रू. फुट	12,000.00
4-	कमरे 2; कमरों का निर्माण का क्षेत्रफल 384 स्क.फुट प्रति स्क.फुट 150/- प्रति स्क.फुट का दर से.	57,600.00
5-	गुमटी एक का मूल्य 2,000/- नाप 6 × 4 × 7	2,000.00
6-	मिट्टी का डोला जिसका क्षेत्रफल 1400 रनिंग फिट ऊँचाई 5 फिट जिसकी कीमत 20/-फुट रनिंग	28,000.00
7-	कूंचे 2,000 प्रति कूचा 7/-	14,000.00

<u>पेड पौधे</u>

1.	नीम के 13 पेड जो कि 15 वर्ष पुराने हैं प्रत्येक पेड का मूल्य 4000×13=52000/-	52,000.00
2.	रुन्झ के 2 पेड जो कि 10 वर्ष पुराने है । प्रत्येक पेड का मूल्य 2500/- रूपये का दर से.	5000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमश: ---5

राशि

3. लारस के । पेड जो कि 15 वर्ष
पुराना है । जिसका मूल्य 2,000/- 2,000.00

4. रोहीडा का एक पेड जिसका मूल्य
3500/-रुपये है । 3,500.00

5. खेजड़ी के 18 पेड है जो कि 28 वर्ष पुराने
है । जिनसे लूम,पातडी व छडो से प्रति छः
माह में प्रत्येक पेड से 150/-रुपये अर्थात
एक वर्ष में 300/-रुपये होती है प्रत्येक पेड 43,200.00
पर व्यय 60/-रुपये प्रति वर्ष होता है । शेष
240×18×10=43,200/-पाने के अधिकारी है.

6. बम्बूल से 20 पेड जोकि 30 वर्ष पुराने है ।
बम्बूल के पेड से लूम,पातडो व छडी प्रत्येक
पेड से 200/-रुपये की आय होती है ।
प्रत्येक पेड पर 40/-रू. प्रति वर्ष व्यय
होता है । इस प्रकार से प्रत्येक पेड
से 160×20×10=32,000/-रुपये बनते
है जो कि प्रार्थीगण पाने के अधिकारी 32,000.00
है ।

कुल योग 78,38,560.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

35. यह कि प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 अर्थात 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1)(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई,1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से मुआवजा राशि 78,38,560/-रू. अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है ।

36. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि 78,38,560/-रू. पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्जेज पाने का अधिकारी है तथा अवार्ड के पश्चात् अर्थात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 5 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान

भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है।

37. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ब्रान्च जयपुर में भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एवं भूमि अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिन खातेदारों की भूमि को अवाप्त किया जावे उनको निवास हेतु 1500,1500 वर्गगज का भूखण्ड अवाप्ति से मुक्त रखा जावे।

अतः प्रार्थिनी श्रीमती मनफूल बेवा हरिनारायण के लिये 1500 वर्गगज का भूखण्ड अवाप्ति से मुक्त रखा जावे।

उपरोक्त क्लेम की एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील को दी गयी। जविप्रा के वकील का कथन है कि प्रार्थना पत्र में दिखायी गयी आपत्तियाँ धारा 4 की कार्यवाही में उठायी नहीं जा सकती। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम मनमाना व अत्यधिक है जो जविप्रा को स्वीकार नहीं है। पत्रावली वास्ते सुनवाई रखी गयी।

दिनांक 13.6.91 को खातेदारों की ओर से श्री सीताराम उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश की फोटो-प्रति पेश की जो मिसल शामिल है। सुनवाई की कार्यवाही नहीं की गयी।

हमने जविप्रा अभिभाषक को सुना एवं क्लेम का अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्लेम मनमाने तौर पर पेश किया गया है जिसने पेश किया उसने भूमि खातेदार से कोई पुख्ता दस्तावेजात पेश नहीं किए हैं जिससे खातेदारी सबूत पुख्ता हो सके। इस प्रकार क्लेम मान्य नहीं है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.4.96 को राज्य सरकार के पक्ष में हो गया है जो इस कार्यालय को दिनांक 18.5.96 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसरण में न्याय हित में खातेदारों को क्लेम पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा मौके पर गया जिसकी हकीकत रिपोर्ट के अनुसार खातेदार का फौत होना बताया। हरिनारायण का पुत्र हनुमान नोटिस लेने से मना

किया । नोटिस मौके पर चस्पा किया गया । खसरा नम्बर 393 के खातेदार के पुत्र को नोटिस तामील करवाया गया ।

इसके बाद दिनांक 13 जून,96 को 3 समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका,दैनिक नवज्योति व राष्ट्रदूत में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नही हुए । न ही कोई क्लेम पेश किया गया ।

दिनांक 20.6.96 को प्रार्थीगण राधेश्याम शर्मा,सीता राम शर्मा,ओम प्रकाश शर्मा,रमेश शर्मा,ओम शर्मा,जगदीश पुत्र रामदेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि खसरा नम्बर 393,394/2,395/2 रकबा ,मय 13 बिस्वा,{1/2 के हिस्सेदार} 5बीघा 19बिस्वा व 8बीघा 16बिस्वा कुल रकबा 15बीघा 1 1/2बिस्वा में 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने की शर्त पर ही समर्पित करने को तैयार है ।

मुकदमा नं. 7/88,खसरा नम्बर 394/2 रकबा 5बीघा 19बिस्वा, खसरा नम्बर 395/2 रकबा 8बीघा 16बिस्वा।

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 394/2 रकबा 5बीघा 19बिस्वा ~~[illegible]~~ खसरा नं.395/2 रकबा 8बीघा 16बिस्वा राधेश्याम,सीताराम पिता गुलाब चन्द हि.1/2,दामोदर पुत्र रामदेव हि.1/4,जगदीश पुत्र रामदेव हि.1/4 के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को दिनांक 4.10.90 को नोटिस जारी कर तामील कुनिन्दा द्वारा मौके पर खातेदारान नहीं मिलने के कारण चस्पा किए गए । लेकिन खातेदार एवं उनकी ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई क्लेम पेश किया गया । दिनांक 25.4.91 को हरिनारायण की तरफ से हनुमान,राजू उपस्थित हुए । इनका कहना है कि हरी नारायण का स्वर्गवास हो चुका है । सीताराम शर्मा ने दिनांक 4.6.91 को उपस्थित होकर एक क्लेम दामोदर प्रसाद जगदीश,राधेश्याम,सीता राम व मनफूली पत्नी हरिनारायण की तरफ

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

से पेश किया जो निम्न प्रकार है जिसमें धारा 4 का विवरण देते हुए क्लेम पेश किया गया ।

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्ग गज × 260/- रु. प्रति वर्ग गज से 4,71,900/-रूपये अर्थात चार लाख इकहत्तर हजार नौ सौ रूपये मात्र प्रति बीघा बनती है ।

34(अ) यह कि इस प्रकार प्रार्थीगण रक्त दर 4,71,900/-रूपये प्रति बीघा की दर से पाने के अधिकारी हैं ।

यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 394/2 रकबा 5बीघा 19बिस्वा, खसरा नम्बर 395/2 रकबा 8बीघा 16बिस्वा कुल रकबा 14बीघा 15बिस्वा अर्थात 44615 वर्ग गज में से 40 प्रतिशत के हिसाब से 17846 वर्ग गज ऐ के 00 [illegible] कम करने पर शेष रहा क्षेत्रफल 26769 वर्ग गज रहते हैं जिसकी बाजारी दर 260/-रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से 68,59,940/- मात्र पाने के अधिकारी हैं ।

राशि

34(ब) जमीन की मुआवजा राशि — 69,59,940.00

34(स) भूमि को समतल करवाई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा व्यय — 75,000.00

34(द) मिट्टी का कच्चा डोला चारों ओर जिसका निफल 1400 रनिंग फुट ऊंचाई 5 फुट जिस दर 20/-प्रति रनिंग फुट के हिसाब से बनती है:- — 2,8000.00

34(य) खेत में 2000 दूबे प्रति दूबे का मूल्य 7/-रु. × 2000=14000/- — 14,000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

पेड पौधे — राशि

1. नीम के 10पेड जो कि 15वर्ष पुराने हैं प्रत्येक नीम का मूल्य 4000/-रूपये
4000×10=40,000.00 — 40,000.00

-57-

2. छोजड़े की 125 पेड़ जो कि 20 वर्ष पुराने हैं। जिनकी लूम, पातड़ी व छड़ी से हर छः माह में प्रत्येक वृक्ष से 150/- आय अर्थात एक वर्ष में 300/- रु. जिस पर प्रति वृक्ष पर व्यय 60/-रुपये प्रति वर्ष लगता है अर्थात 240×125×10=3,00,000/- होती है। — 3,00,000.00

3. [खेजड़े?] के 10 पेड़ जो कि 10 वर्ष पुराने हैं। जिसकी लूम, पातड़ी व छड़ी प्रत्येक पेड़ से आय 200/-रुपये तथा प्रत्येक पेड़ पर प्रति वर्ष व्यय 40/-रुपये होते हैं अर्थात् 160×10×10=16,000/- पाने के अधिकारी हैं। — 16,000.00

4. [रूञ्झ?] के 5 पेड़ जो कि [18?] वर्ष पुराने पेड़ है। प्रत्येक का मूल्य 2500/-रुपये अर्थात 2500×5=12,500/- रुपये बनते हैं:- — 12,500.00

कुल राशि रु. 74,45,440.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

35. यह कि प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 अर्थात 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से मुआवजा राशि 74,45,440.00 रु. पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है।

36. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि 74,45,440.00 रुपये पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्जेज पाने का अधिकारी है तथा अवार्ड के पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 5 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है।

क्रमशः----10

-58-

37. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चन्यायालय राजस्थान ब्रांच जयपुर में भूमि की अवाप्ति के संदर्भ में राज्य सरकार को एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि जिन खातेदारों की भूमि को अवाप्त किया जावे उनको निवास हेतु 1500,1500 वर्ग गज का भूखण्ड अवाप्ति से मुक्त रखा जावे। रिजर्व प्राइस पर आवंटित किया जावे। अतः हम निम्न खातेदार/काश्तकारों के लिये 1500,1500 का भूखण्ड अवाप्ति से मुक्त रखा जावे :-

1. श्री दामोदर पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4
2. श्री जगदीश पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4
3. श्री राधेश्याम पुत्र गुलाब सिंह हिस्सा 1/4
4. श्री सीताराम पुत्र गुलाब चन्द हि. 1/4

अतः प्रार्थना पत्र क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारों को मिलने वाली सुविधाएं दिलाई जावे।

उपरोक्त क्लेम की एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील को दी गयी। जविप्रा के वकील का कथन है कि प्रार्थना पत्र में दिखायी गयी आपत्तियाँ धारा 4 की कार्यवाही में उठायी नहीं जा सकती। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम मनमाना व प्रत्यधिक है जो जविप्रा को स्वीकार नहीं है। पत्रावली वास्ते अवार्ड रखी गयी।

दिनांक 13.6.91 को दावेदारों की ओर से श्री सीताराम उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन, आदेश की फोटो प्रति पेश की जो मिसल शामिल है। अवार्ड की कार्यवाही नहीं की गयी।

हमने जविप्रा अभिभाषक को सुना एवं क्लेम का अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्लेम मनमाने तौर पर पेश किया गया है जिसने पेश किया उसने भूमि खरीद के कोई पुख्ता दस्तावेजात पेश नहीं किए हैं जिससे खातेदारी सबूत पुख्ता हो सके। इस प्रकार क्लेम मान्य नहीं है।

क्रमशः----11

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.4.96 को राज्य सरकार के पक्ष में हो गया है जो इस कार्यालय को दिनांक 18.5.96 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसरण में न्याय हित में खातेदारों को क्लेम पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा मौके पर गया मैं सका हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार का फौत होना बताया । हरिनारायण का पुत्र हनुमान नोटिस लेने से मना किया । नोटिस मौके पर चस्पा किया गया । खसरा नम्बर 394/2 व खसरा संख्या 395/2 के खातेदार का पुत्र मिला उसको नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा तामील कराया गया । इसके बाद दिनांक 13 जून,96 को 3 समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका,दैनिक नवज्योति व राष्ट्रदूत में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुए एवं न ही काई उपस्थित हुए । न ही कोई क्लेम पेश किया गया ।

दिनांक 20.6.96 को खातेदार राधेश्याम शर्मा,सीताराम शर्मा,ओम प्रकाश शर्मा,रमेश शर्मा ,उमेश शर्मा,जगदीश पुत्र रामदेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ख.नं.393,394/2, 395/2 रकबा क्रमशः 13 बिस्वा,§1/2 के हिस्सेदार§5बीघा 19बिस्वा व 8बीघा 16बिस्वा कुल रकबा 15बीघा 1½बिस्वा में 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने की शर्त पर ही समर्पित करने को तैयार है ।

मुआवजा निर्धारण
===============

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्ट्रेक्चर्स के वेल्यूवेशन इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किये है:-

खसरा नम्बर:394 - कुआ 44,790/-रू.राशि
मकान 11,392/- .राशि
कुल राशि = 56,182/-रू. आकी गयी है ।

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.6§15§ नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव,नगरीय

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि मुआवजा राशि 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस ग्राम की भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है जिसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा भी किया जा चुका है ।

हमने जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक का पक्ष सुना हम यह मानते हैं कि उक्त मामले में भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित है एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

हम भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से तय करते हैं लेकिन मुआवजा राशि का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 23(ए-1) एवं 23(2) के तहत मुआवजे की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार की राशि भी नियमानुसार देय होगी ।

यह अवार्ड आज दिनांक 17.7.96 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

आज दिनांक 30.8.96 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 6(15) न.वि. अ./87 पार्ट जयपुर दिनांक 30-8-96 के द्वारा यह अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ जिसे सरे इजलास घोषित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि सचिव महो० जयपुर विकास प्राधिकरण को मुआवजा राशि जमा करने हेतु प्रेषित हो तथा खातेदारों को धारा 12(2) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नोटिस जारी हो।

30/8/96

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर